

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

प्रारूप-6

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के प्रधानाचार्य एवं समकक्ष पद के निम्नांकित शिक्षा अधिकारी को राजस्थान सिविल सेवा नियम (पेंशन नियम) 1996 के नियम 50(1) प्रावधानान्तर्गत शर्तें पूर्ण करने पर एवं इनके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर इनके नाम के सामने कॉलेज संख्या 07 में अंकित दिनांक से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि	पद	पदस्थापन स्थान	राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहे जाने की दिनांक
01	02	03	04	05	06	07
01	श्री रामलाल बिश्नोई (RJJL199021012214)	01-07-1964	प्रधानाचार्य	संगवी लहरीदेवी लक्ष्मणजी मरड़िया जैन रा.उ.मा.वि, चितलवाना (213788), ब्लॉक- चितलवाना जिला जालोर	17-12-1990	01-09-2023

उपर्युक्त कार्मिक के संबंध में यह प्रमाणित किया जाता है कि इनके विरुद्ध आदेश जारी होने की तिथि तक :-

- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(काना राम)

आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक: 31.08.2023

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/ए-4/रामलाल बिश्नोई/2023-10582

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, पाली मुख्यालय।
- संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, पाली संभाग, पाली।
- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जालोर/जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जालोर व मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, चितलवाना, जालोर/नियंत्रण अधिकारी को प्रेषित कर पाबंद किया जाता है कि उक्त उल्लेखित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति होने वाले प्रधानाचार्य एवं समकक्ष शिक्षा अधिकारी से प्रारूप-6 के आशय का शपथ-पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर ही आगामी कार्यवाही अमल में लावें। इस हेतु आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
- सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
- संबंधित संस्था प्रधान/संबंधित कार्मिक को पालनार्थ।
- अनुभाग अधिकारी, वि.जांच/डी.पी.सी./वरिष्ठता अनुभाग/शाला-दर्पण अनुभाग कार्यालय हाजा।
- प्रभाग प्रभारी वी-1/2(संस्थापन एवी) कार्यालय हाजा को निर्देशित किया जाता है कि शाला-दर्पण पोर्टल पर कार्मिक की अद्यतन विभागीय स्थिति की कार्यवाही सुनिश्चित करे।
- निजी/रक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram

Designation: Director

Date: 2023.08.31 20:05:18

Reason: Approved (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

RajKaj Ref No. : 4272478

